प्रवेश पत्र दिखाने से माफ हो जाएगा आधा किराया

देहरादून। राज्य की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होने वाले युवाओं को सरकार रोडवेज बस का आधा किराया माफ करेगी। बृहस्पतिवार को कैबिनेट की बैठक में ये निर्णय लिया गया। इससे पूर्व भी धामी सरकार कई बार भर्तियों में शामिल युवाओं को रोडवेज बसों में किराये से पूर्ण छूट दे चुकी है।

कैबिनेट में मुख्यमंत्री प्रतियोगी परीक्षा परीक्षार्थी रियायत परिवहन योजना 2023 को मंजूरी मिल गई है। मुख्यमंत्री की घोषणा के तहत प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों को राज्य के भीतर अपने गृह स्थान से परीक्षा केंद्र तक रोडवेज की बसों में यात्रा करने पर किराए में 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी। अगर कोई राज्य का युवा दूसरे राज्य से

दूसरे राज्यों में रह रहे उत्तराखंड के युवा भी ले सकते हैं लाभ

यहां भर्ती परीक्षा देने आ रहा है तो उसके लिए भी यह योजना लागू होगी। योजना का लाभ लेने के लिए युवाओं को अपने प्रवेश पत्र के अलावा आधार कार्ड या वोटर आईडी में से कोई प्रमाण भी दिखाना होगा। जिससे ये स्पष्ट हो सके कि वह उत्तराखंड निवासी है।

उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड की किसी भी प्री परीक्षा, मुख्य परीक्षा, एकल परीक्षा या इंटरव्यू में शामिल होने पर यह लाभ दिया जाएगा। किराया माफी की राशि की प्रतिपूर्ति सरकार की ओर से परिवहन निगम को की जाएगी। ब्यूरो

Article Written and Published by Amar Ujala